



कार्यालय नोडल अधिकारी, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

कं. 01/पो.मै.नो./2025

रायपुर, दिनांक 26.05.2025

प्रति,

विभागाध्यक्ष/संचालक

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषय:- 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-डी (भू-तल) अटल नगर, जिला रायपुर छ.ग. के पत्र क्रमांक/ऑ.ला.पो.मै.छा./215/2025-26/1742 नवा रायपुर, दिनांक 19.05.2025 (संलग्न)

सत्र 2025-26 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन पात्रता रखने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/> वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही है। जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2025-26 हेतु तिथि निर्धारित की जा रही है संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें:-

उक्त पात्रता अनुसार विद्यार्थियों को उनके आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान 07 कार्य दिवस में प्राप्त होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जायेगा एवं Draft Proposal एवं Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदाय नहीं दिया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित विभागाध्यक्ष/संचालक के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए विभागाध्यक्ष/संचालक प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

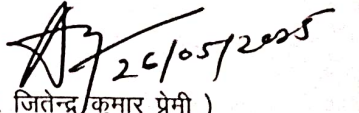
1. छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है:-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा रु. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रु. 1.00 लाख प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।

2. PFMS के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाते की प्रविष्टि ऑनलाइन आवेदन करते समय सनिश्चित करें।

3. वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को NSP Portal से OTR (One Time Registration) प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है।

4. उपरोक्तानुसार पात्र रखने वाले विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन जांच कर विभागाध्यक्ष/संचालक आवेदन पत्रों को सत्यापित करा कर संबंधित विभाग के पोस्ट मैट्रिक प्रमारी अधिकारी एवं कर्मचारी पो.मै.छा.पं.रवि.वि.वि.रायपुर में Sanction Order Lock कराने हेतु कवरिंग लेटर के साथ स्वयं उपस्थित हो कर आवश्यक कार्यवाही संपन्न करावें।

 26/05/2025

(प्रो. जितेंद्र कुमार प्रेमी)

नोडल अधिकारी

पो.मै.छा.पं.रवि.वि.वि.रायपुर

पृ.कं. 02/पो.मै.नो./2025

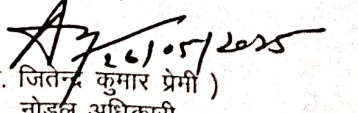
प्रतिलिपि

कुलपति महोदय के सचिव एवं कुलसचिव के निज सहायक पं.रवि.वि.वि. को सूचनार्थ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण पं.रवि.वि.वि.रायपुर को सूचनार्थ।

समस्त विभागाध्यक्ष पं.रवि.वि.वि.रायपुर को सूचनार्थ एवं छात्रहित में छात्र/छात्राओं को जानकारी उपलब्ध कराये जाने एवं विभाग के नोटिश बोर्ड में चरप्पा कराये जाने हेतु निवेदित।

रायपुर, दिनांक 23.05.2025

 26/05/2025

(प्रो. जितेंद्र कुमार प्रेमी)

नोडल अधिकारी

पो.मै.छा.पं.रवि.वि.वि.रायपुर

कार्यालय आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-डी (भू-तल) अटल नगर, जिला रायपुर (छ0ग0)
☎ - 2263708, 2262558 Fax - 2262558

Email Id - pmsscstobc@gmail.com

क्रमांक/ऑ.ला.पो.मै.छा./215/2025-26/1742

नवा रायपुर, दिनांक 19/05/2025

: : सूचना प्रकाशन : :

वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन की सूचना

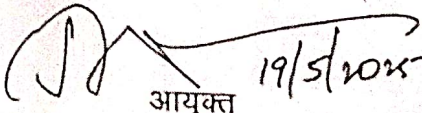
छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/> वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है। जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2025-26 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जा रही है :-

आवेदन का प्रकार	विद्यार्थियों द्वारा आनलाईन आवेदन प्राप्ति तिथि	स्वीकृति एवं डिसबर्स		समाविष्ट भुगतान तिथि
		शासकीय	अशासकीय	
नवीनीकरण	31 मई 2025 तक	07 जून 2025 तक	10 जून 2025 तक	10 जून 2025
	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025
	30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025
नवीन	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025
	30 सितम्बर 2025 तक	07 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025
	30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025

विद्यार्थियों को उनके आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान 07 कार्य दिवस में प्राप्त होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं Draft Proposal एवं Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

1. छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है :-

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा रु. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रु. 1.00 लाख प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।
- PFMS के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाते की प्रविष्टि आनलाईन आवेदन करते समय सुनिश्चित करें।
- वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को NSP Portal से OTR (One Time Registration) प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है।
- वर्ष 2025-26 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख (HoI) एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (INO) का biometric-authentication किया जाना अनिवार्य है।


19/5/2025
आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, छ0ग0